जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 12.07.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात जागरुकता बढ़ाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चो को किया गया जागरुक

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा ब्लूमिंग बड्स स्कूल विधियानी खलीलाबाद में यातायात जागरूकता से सम्बन्धित गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा नियमो के पालन हेतु शपथ दिलाई गई। यातायात जागरुकता बढ़ाने हेतु स्कूल के अध्यापको की उपस्थिति में यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए दो पहिया वाहन चलाते समय नाबालिग बच्चो को वाहन न चलाने, तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के बारे में बताया गया तथा अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी। इस दौरान एच0सी0पी0 संतोष राय सहित अन्य शिक्षिक व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.07.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनों से 1,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनों से 1,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 12.07.2024

*** ⏩ मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं / बालिकाओं को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक***

*** ⏩ मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत भारत संकल्प यात्रा की ब्लॉकवार व ग्रामवार कार्यक्रम कर संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक***

*** ⏩ समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण***

*** ⏩ महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त***

उत्तर प्रदेश शासन** द्वारा **महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

जनपद-संतकबीरनगर*   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 12.07.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** की सशक्त व प्रभावी पैरवी* के फलस्वरुप आज दिनांक 12.07.2024 को ***मा0 श्रीमान सी0जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर** *, जनपद संतकबीरनगर द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1904/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता जान मोहम्मद उर्फ जानू पुत्र हवीबुल्लाह निवासी अंसार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 12.07.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व जेल मे बितायी गयी अवधि तथा 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 12.07.2024 को ***मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना को0 खलीलाबाद* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 1564/2016* धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता जानु उर्फ जान मोहम्मद पुत्र हवीबुल्लाह निवासी अंसार टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व जेल में बिताई गयी अवधि तथा 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 07 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।